[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

सभा में प्रस्तुत किया था जिस में काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ने की बात का प्रावधान है। उस संविधान संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का निर्णय 17 अगस्त 1978 को सदन ने लिया था और यह अवधि निश्चित की थी कि 27 जनवरी, 1979 के पूर्व जनता की राय लोक सभा में प्राप्त हो जाय। मुझे लोक सभा सचिवालय से ज्ञात हुआ है कि देश के 22 राज्यों और 9 केन्द्र शासित राज्यों को हमारा बिल भेजा गया लेकिन उनमें से केवल 6 राज्यों ने अपने राजपत्रों में प्रकाशित किया है। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर राय जानने के लिए नियत समय 15 अगस्त 1979 तक बढ़ा दिया जाय। यह मेरा प्रस्ताव है। ..(व्यवधान).. राज्यों ने तो बहुत बड़ी उपेक्षा की है। केवल तामिलनाडु कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, आसाम और बंगाल इन 6 राज्यों ने अपने यहां राजपत्रों में इसे प्रकाशित किया है और एक केन्द्र शासित राज्य गोवा ने प्रकाशित किया है। बाकी किसी राज्य ने अभी तक अपने राजपत्र में इसे प्रकाशित ही नहीं किया है। इसलिए जनता की राय आएगी तो कैसे आएगी जब कि इस बहुत महत्व-पूर्ण विधेयक पर सारे देश के लोग इस के पक्ष में हैं क्यों कि बेरोजगारी बहुत ज्वलंत प्रश्न है। हर-एक काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ना चाहता है। चुनाव घोषणापत्र में जनता को हम ने यह वचन दिया था। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि —

"यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिए नियत समय 15 अगस्त 1979 तक बढ़ाती है।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा निवेदन है और आप सहमत होंगे कि राज्य सरकारों ने लोक सभा के आदेश की अवहेलना की है। जैसा कि बताया गया, अगर यह बात सही है तो मेरी राय में उन्होंने अवहेलना की है, उस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN: That is a separate question. I think, no debate is required on this. I will only put the motion to the vote of the House.

The question is:

"That this House do extend upto the 15th August, 1979, the time appointed for eliciting opinion on the Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

15.49 hrs.

INDIAN SOCIAL DISPARITIES ABOLITION BILL—*Contd.*

By SHRI POOP NATH SINGH YADAV

MR. CHAIRMAN: We take up further consideration of the Motion moved by Shri Roop Nath Singh Yadav on the 8th December, 1978.

Shri Roop Nath Singh Yadav to continue his speech.

श्री रूपनाथ सिंह यादव (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अनुमति 8 दिसम्बर को दे दी थी, इसलिए जो एक साल के बाद बैलट में आया, वह बच गया वरना फिर एक साल के लिए जाता। मैं आप को बहुत धन्यवाद इस के लिए देता हूं।

आज मैं माननीय सदन के सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय समस्या के विषय पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर विचार होना चाहिए। यह किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है। यह देश के 90–95 प्रतिशत दलित शोषित वर्ग के उत्थान का मामला इस विधेयक के जरिए से मैंने उठाया है। इस देश की आबादी 60–65 करोड़ होने जा रही है। इस में से 90 प्रतिशत आबादी देखें तो 45–50 करोड़ हरिजन, आदिवासी, अल्प-संख्यक और पिछड़े वर्ग के रूप में है। हिन्दुस्तान के अलावा विदेशों में कहीं भी जन्मजात प्रथा के रूप में जाति पांत का भेदभाव नहीं है। यहां भी मुसल-मानों में जाति के नाम पर कम से कम भेदभाव नहीं है। लेकिन हिन्दुस्तान में हजार दो हजार वर्षों से हिन्दुओं में जाति प्रथा प्रचलित हो गई और जाति के नाम पर चार पांच वर्ण बना दिए गए। सब से ज्यादा जो मेहनती थे, इस देश का जो मजदूर था, काम करने वाला था उस को अछूत मान लिया गया और उसके बाद जो बचा उस को बैकवर्ड क्लास कहा गया। बाकी वैश्य, राजपूत और ब्राह्मण—ये सवर्ण मान लिए गए। समाज में इन्हीं तीनों की सुप्रीमेसी हो गई और बाकी 90 प्रतिशत जो दलित मजदूर और मेहनतकश थे उनको हेय दृष्टि से देखा गया हालांकि उनका इस देश के उत्थान में काफी योगदान था। आप देखेंगे कि अगर कहीं पर सफाई मजदूरी का काम होगा तो उसमें हरिजन आयेंगे लेकिन हमने उनके साथ क्या व्यवहार किया है—उसको बताने की जरूरत नहीं है, यह सदन उसको अच्छी तरह से जानता है।

प्रश्न यह है कि जनता पार्टी के घोषणा-पत्र तथा संविधान में अनटचेबिलिटी एबालिश कर दी गई परन्तु वास्तव में वह समाज में प्रचलित है और उसको मिटाने की आवश्यकता है। मैंने 2 तारीख 1977 को सावलंकर हाल नई दिल्ली, में एक सम्मेलन बुलाया और प्रधान मंत्री जी श्री मोरारजी भाई ने

उद्घाटन में कहा कि चार वर्ष में इस देश से छूआछूत मिटा दी जायेगी। उसी समय हरिजन आयोग की स्थापना की घोषणा की गई और एक माइनारिट्री आयोग भी बनाया गया। अब 8 दिसम्बर, को चर्चा शुरू की तो 20 तारीख को पिछड़ा वर्ग कमीशन भी बना दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि 30–31 वर्ष के बाद पहली बार इस लोक सभा में यह बिल आया कि सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विषमता जो फैली है वह मिटाई जाये। इस देश में जो 90 फीसदी शोषित हैं उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन इस साइंस के युग में मेडिकल कालेजेज, इंजीनियरिंग कालेजेज, कृषि एवं टेक्नालाजी के कालेजेज में, नहीं है। उनका वहां पर प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है क्योंकि प्रथम वर्ष के प्रवेश में कांपिटीशन टेस्ट होता है और उसमें पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय होता है। इस दशा को सुधारने के लिए 23 जनवरी, 1963 को अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत एक बैकवर्ड क्लासेज कमीशन का गठन किया गया। 29 जनवरी को इस कमीशन का गठन हुआ और उसकी रिपोर्ट 1955 में आई। उस कमीशन की अध्यक्षता आचार्य, गांधियन काका साहेब कालेलकर ने की थी। उन्होंने, हिन्दुस्तान में कैसे विषमता दूर हो, कैसे जातपांत खत्म हो, कैसे सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में बराबरी आये—इस सम्बन्ध में काफी मूल्यवान सिफारिशें कीं। लेकिन पिछली सरकार ने उस रिपोर्ट को 13 साल बाद 1965 में इस लोक सभा में चर्चा के लिए रखा और चर्चा के बाद फिर उसे कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। उसके बाद से आज तक पिछड़े वर्गों के बारे में कोई भी सिफारिश लागू नहीं की गई। पुरानी सरकार तो इस तरह से सो रही थी। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। श्री मोरारजी देसाई उस समय जनता पार्टी के अन्तरिम अध्यक्ष थे। जनता पार्टी के सभी घटकों—जनसंघ, संसोपा, बी एल डी इत्यादि—ने मिल कर जनता पार्टी के घोषणापत्र के मस्विदे में माना कि काका साहेब कालेलकर आयोग की रिपोर्ट जनता पार्टी की सरकार बनते ही तुरन्त लागू की जायेगी। इस प्रकार यह हमारी जनता पार्टी का वायदा है। पुरानी सरकार तो हट गई और पिछले 18–19 महीने से केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार है। मैंने इस बिल को यहां पर ला कर अपना कर्त्तव्य निभाया है। इससे पहले मैं जब उत्तर प्रदेश विधान सभा में था तो वहां भी मैंने गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया था। वहां पर मेजारिटी से वह विधेयक जरूर गिर गया था लेकिन बाद में वहां की सरकार ने बैकवर्ड क्लासेज के लिए 15 फीसदी का रिजर्वेशन दिया। जनता सरकार आई तो उसने पंद्रह प्रतिशत को कायम रखा। यहां यह बताना भी असंगत नहीं होगा कि डा० राम मनोहर लोहिया का सिद्धान्त था कि साठ प्रतिशत लोगों को जिन में हरिजन बैकवर्ड, अल्पसंख्यक और औरतें आती है पिछड़ा हुआ माना जा। उनका कहना था कि जीवन चार क्षेत्रों में यानी राजनीति, नौकरी, पलटन और शिक्षा में रियायतें दी जाएं। यह सिद्धान्त संसोपा का था जो जनता पार्टी का भी है। जो एक संवैधानिक सिद्धान्त है और जो हमारी पार्टी के मैनिफैस्टो में भी स्वीकार किया गया है आज 18–19 महीने बीत जाने के बाद भी उसको क्यों लागू नहीं किया गया है यह मेरी समझ में नहीं आया है। कोई शासनादेश जारी करने में गृह मंत्रालय ने इतना समय क्यों बिताया इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं। बार बार मैंने इस बारे में गृह मंत्री जी को लिखा है श्री धनिक लाल मंडल को भी लिखा है, उनको ज्ञापन भी दिया है। मुझे यह जवाब मिलता रहा है कि दी मैटर इज इन एक्टिव कंसिडेशन। यह उत्तर सितम्बर, 1977 को मुझे मिला था। अब एक साल से ऊपर हो गया है और यह मामला एक्टिव कंसिडेशन में ही चल रहा है। जब उन्होंने एक्टिव कंसिडेशन शब्द इस्तेमाल किए थे तब मैंने यह समझा था कि दी अक्तूबर को वह इसको जारी कर देंगे। अगर कंसिडेशन कहा होता तो मैं समझ सकता था कि दो तीन साल लगा सकते हैं लेकिन जब एक्टिव कंसिडेशन कहा तो मुझे लगा कि दो अक्तूबर, 1978 को यह चीज लागू हो जाएगी। लेकिन नहीं हुई। 2 अक्तूबर, 1978 बीत गया है लेकिन अभी भी लागू नहीं हुई है। मैंने बिल दिया बैलट में आ गया और आज मैं इस सवाल को यहां उठा रहा हूं। मैं नहीं समझता हूं कि कानून बनाने में किसी भी प्रकार की आपत्ति होनी चाहिए। इससे हमारी जनता पार्टी की छवि बेहतर होगी। इस चीज को लागू न करना वादा खिलाफी होगी। अगर दल न मानता हो तब तो ठीक है लेकिन जब दल ने इस चीज को माना है और घोषणा पत्र में इसको स्थान दिया है तो इसको लागू न करना वचन भंग होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम को चाहिये कि हम 65 करोड़ जनता को दिखा दें कि हम गरीबों के लिए भी कानून बना सकते हैं। अभी तक कुछ ही स्ट्रेट्स में एग्जैक्टिव आर्डर के जरिए इस चीज को लागू किया गया है। सब से पहले तमिलनाडु सरकार ने—तब वह मद्रास राज्य हुआ करता था,—पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में कानून बनाया था। वह केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तरमीम सुझाई थी। फिर 1951 में जब नेहरू जी प्रधान मंत्री थे फस्ट—एमेण्डमेण्ट आफ दी कांस्टीट्यूशन लाया गया था उस रूलिंग के मातहत। आर्टिकल 15 (ए) के बाद चार इसलिए जोड़ा गया था कि उस में लफ्ज सोशली एण्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासिस आ जाएं। इस प्रकार का उपबन्ध बनाने का उस में प्राविजन किया गया। तब से यह संविधान इस मामले में ज्यों का त्यों है। मान्यवर, आर्टिकल 340 की शब्दावली की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। उस में लिखा हुआ है कि जो सोशली एण्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासिस हिन्दुस्तान में हैं राष्ट्रपति उनके लिए एक कमिशन नियुक्त करेंगे और वह इस बात की खोज करेंगे कि भारत के कोने कोने में जा कर कि कितने लोग बैकवर्ड हैं। कौन कौन बैकवर्ड क्लासिस में आते हैं। 1953 में यह कमिशन बना था। दो साल देश के कोने कोने में जा कर और खोज लगा कर उसने अपनी रिपोर्ट दी। हर सूबे के बारे में उसने रिपोर्ट दी है। सके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 37 हिन्दू जातियां और 21 मुसलमान जातियां बैकवर्ड मानी गई है, हरिजनों, आदिवासियों सब को मिला कर 66 जातियां इस लिस्ट में आती हैं। इस प्रकार से पूरे देश में एक सूची उसने बैकवर्ड क्लासिस की तैयार कर दी

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

और सरकार से अपेक्षा की कि वह इस पर अमल करे। लेकिन अमल नहीं हो पाया ।

सोशल बैकवर्डनैस कैसे आई, जातपात कैसे आई, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं । जो कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में आन्दोलन छिड़ गया है कि जाति के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मैं उनसे पूछता हूं कि गैर-बराबरी आयी कहां ? जो लोग आर्थिक दृष्टि से गरीब थे वही सोशली और एजूकेशनली बैकवर्ड हो गये। तो जो सोशल बैकवर्डनैस का टेस्ट है, जो जातियां पिछड़े वर्गों के अन्दर आती हैं वह आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से भी गरीब हैं । तो एक झगड़ा चला कि यह कैसे हो सकता है कि खाली आपने जाति का नाम लिख दिया बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में, इसलिए वह लिस्ट गैर-कानूनी है । यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, आन्ध्र प्रदेश का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन्स दीं, सारे देश और सरकार के लिए, जजमेंट दिया जो कि सब को मानना है । आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रिजर्वेशन किया और वह चैलेंज हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है । इस फैसले के बाद अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए देश के किसी भी कोने में । इस जजमेंट का साइटेशन है 1972, ए० आई० आर०, सुप्रीम कोर्ट, पेज 1375 :

"If an entire caste is as a fact found to be socially and educationally backward, their inclusion in the list of backward classes by their caste name is not violative of Article 15(4). A caste is also a class of citizens and a caste as such may be socially and educationally backward. If after collecting the necessary data it is found that the caste as a whole is socially and educationally backward, the reservation made of such persons will have to be upheld not withstanding the fact that a few individuals in that group may be both socially and educationally above the general average."

16.00 hrs.

यह विवाद खड़ा कर देते हैं कि पिछड़े वर्गों में अगर कुछ लोग बहुत धनी हो गये हैं, कोई मंत्री हो गया है, ऐडवोकेट या इंजीनियर हो गया इसलिए अमुक जाति पिछड़े वर्ग से निकाल दी जाय । तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि जो थोड़े से वर्ग पिछड़ी जातियों में से ऊंचे उठ गये हैं उनकी वजह से पूरी कास्ट की कास्ट खत्म कर दी जाय । इस रूलिंग के होते हुए अब कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है कि और आगे हम समय बितावें । सिर्फ झगड़ा तय आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने किया है, वहां क्वान्टम का प्रश्न था कि 50 से अधिक हो या उससे कम । तो सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में कहा 50 से ऊपर होने से जनहित ज्यादा नहीं होगा, इसलिए रिजर्वेशन 50 से नीचे हो, सब मिला कर हरिजन और बैकवर्ड सब का। उन दक्षिण राज्यों को मैं बधाई देता हूं वहां उन्होंने उसको फिर मौडीफाई किया उस रूलिंग के मुताबिक । मान्यवर वहां रिजर्वेशन बहुत दिनों से है । आन्ध्र प्रदेश में 25 परसेंट, असम में कुछ नहीं है, बिहार में 26 परसेंट, गुजरात में 5 फीसदी है, हरियाणा में 2 फीसदी है, हिमाचल प्रदेश में 10 फीसदी है । जम्मू-कश्मीर में 42 फीसदी है। लेकिन अभी यह मामला पेंडिंग है कोर्ट में। और कर्नाटक में 40 और केरल में 40 फीसदी है । महाराष्ट्र में 10 फीसदी , मेघालय में 5 फीसदी, पंजाब में 5 फीसदी, तमिलनाडु में 31 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 15 फीसदी।

इस तरह से 22 राज्यों में से कम-से-कम 14 ने तो इस सिद्धान्त को मान लिया है और उन्होंने अपनी स्टेट्स में सर्विस के लिए कर दिया । अब प्रश्न इस बात का है कि केन्द्र शासित प्रदेश और अर्द्ध-सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें कोई रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेज के लिए नहीं है । हालत यह है कि उनका रिप्रैजेण्टेशन 0 के बराबर है। श्रीमन, मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगा कि जब हरिजन आदिवासियों का रिजर्वेशन 18, 20, 22 फीसदी चल रहा है तो वह 30 साल से हुआ, लेकिन व्यावहारिक रूप से 2, 3 फीसदी क्लास-1 में हुआ है। आर्डर्स होते हुए भी वह पूरा नहीं हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस देश का समाज इस कानून के बदलने में क्यों उपद्रव कर रहा है, समझदारी की बात यही है कि यह राष्ट्र के हित में है राष्ट्र को मजबूत और प्राणवान बनाने के लिए जरूरी है कि हर नागरिक मजबूत रहे, सुखी रहे, नौकरी में हो, पढ़ालिखा हो। तभी सब बराबरी से रहेंगे और डिस्पैरिटी खत्म होगी। देश में भयंकर विषमता है, इसको खत्म करना जरूरी है । इसलिए इस प्रश्न को लोक-सभा में उठाया गया है ।

काका कलेलकर साहब की बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट के पैरा 10, चैप्टर 5 में जो कहा गया है, वह मैं आपके सामने रखता हूं--

"We tried to avoid caste but we find it difficult to ignore caste in the present prevailing circumstances. We wish it were easy to dissociate caste from social backwardness at the present juncture. In modern times, anybody can take

to any profession. A Brahmin taking to tailoring does not become a tailor by caste, nor his social status is lowered as Brahim. A Brahmin may be a seller of shoes or boots and yet his social status is not lowered thereby. Social backwardness, therefore, is not today due to the particular profession of a person but we cannot escape caste considering the social backwardness in India. All this goes to prove that social backwardness is mainly based on social tribal caste and denomination differences."

इस पोशंन को ए-आई-आर 1968, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि इन्होंने रिपोर्ट में जो आधार बनाया है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना। ए-आई-आर 1968 सुप्रीम कोर्ट के पेज नं0 1012 में कह दिया कि यह लिस्ट शड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासेस की जो बनी है, वह संवैधानिक है, ठीक है, वह आर्टिकल के किसी 14, 15 को उल्लंघन नहीं करती। यह मान लिया गया कि जो बैकवर्ड क्लासेज की सूची काका कालेलकर आयोग के द्वारा बनाई गई, वही मान्य हो जानी चाहिए थी। 30 बरसों में उस सरकार ने नहीं किया, इस सरकार के सामने मसला आया तो हुआ यह कि आसमान से निकला खजूरी में अटक गया।

जो चीज सर्वमान्य है, जनता पार्टी मैनिफैस्टो, रूल्स, सारे राज्यों में मान्य है, उसकी आपको केन्द्र में कुछ न कुछ रिलीफ इस बिल के जवाब में घोषित करनी चाहिए। मंत्री महोदय, प्रधान मंत्री से बात कर लें, कैबिनेट बुला कर, कल, परसों घोषणा कर दें, आर्डिनेन्स जारी कर दें, लेकिन यह चीज एक्ट के रूप में आनी चाहिए।

मैं आपका ध्यान एक और रूलिंग की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे माननीय स्पीकर साहब जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, तो उन्होंने जो क्रान्तिकारी रूलिंग दिया था, उस को मैं आपकी आज्ञा से साइट करूंगा। यह जरूरी है कि इस बिल के समर्थन में हम सभी तथ्य दे दें, ताकि किसी को कोई संदेह करने की गुंजायश न रहे।

सुप्रीम कोर्ट ए० आई० आर०, 1971, पेज 1777, स्टेट आफ पंजाब ऐपेलेंट वर्सेस हीरालाल एण्ड अदर्ज के केस में उन्होंने कहा है :

Reservation of appointments or posts in favour of backward classes—The mere fact that the reservation made under Article 16(4) may give extensive benefits to the persons who have the benefit of the reservation does not by itself make the reservation invalid.....

आगे उन्होंने कहा है :

Article 16(1) is an extension of Article 14. It provides:

"7. There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State."

8. But the equality contemplated by this clause is not an embodied equality. It is subject to several exceptions and one of the exceptions is that provided in Article 16(4) which says:

"Nothing in this Article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State is not adequately represented in the services under the State."

इसके बाद उन्होंने कहा है :

"11. It is true that every reservation under Art. 16(4) does introduce an element of discrimination particularly when the question of promotion arises. It is an inevitable consequence of any reservation of posts that junior officers are allowed to take a march over their seniors. This circumstance is bound to displease the senior officers. It may also be that some of them will get frustrated but then the Constitution-makers have thought fit in the interests of the society as a whole that the backward class of citizens of this country should be afforded certain protection as observed by this Court.....

"It cannot be denied that unaided many sections of this country cannot compete with the advanced sections of the Nation. Advantages secured due to historical reasons should not be considered as fundamental rights.

[श्री रूप नाथ सिंह यादव]

Nation's interests will be best served taking a long range view—if the backward classes are helped to march forward and take their place in line with the advanced sections of the people."

संविधान के अनुच्छेद 16(4) में यह व्यवस्था है कि अगर नौकरियों में बैकवर्ड क्लासिज का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, तो उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए उपबन्ध किया जा सकता है।

Sir, Parliament has powers, as a sovereign and competent body. It may make the law. There is no bar.

मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिये गये कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। 1962 में वहां यह प्रश्न पूछा गया था कि गजेटिड नौकरियों में हरिजनों, पिछड़े वर्गों और अग्रिम जातियों का कितना प्रातनिधित्व है। उसके उत्तर में ये आंकड़े दिये गये :

हरिजन : 2 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग : 1 प्रतिशत, अग्रिम जातियां : 88 प्रतिशत अग्रिम मुस्लिम एवं ईसाई आदि : 9 प्रतिशत।

आजादी से पहले--1946 में--हरिजन गजेटिड अधिकारियों की संख्या 16, 1955 में 70 और 1960 में 194 थी, और अन्य पिछड़ी जातियों के लोग 1946 में 34, 1955 में 25 और 1960 में 67 थे। अग्रिणी जातियां 1946 म 1251, 1955 में 4555 और 1960 में 8500। इस प्रकार से यह है डिस्पैरिटी का कारण जिस के आधार पर वहां यह मांगा गया कि उत्तर प्रदेश में भी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन किया जाय। मैंने एक रूलिंग 8 तारीख को भी कोट की थी जिस म सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 50 परसेंट से अधिक भी अब हो सकता है। जो 63 की रूलिंग है उस को खुद सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित कर दिया कि रिजर्वेशन कैन गो बियांड 50 परसेंट 71 की रूलिंग के मुताबिक। बाकी राज्यों में पुरानी रूलिंग के आधार पर 50 से नीचे कर दिया गया है सिवाय कर्नाटक के जहां 58 परसेंट कर दिया गया है, हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेंज दोनों को मिला कर 58 प्रतिशत है। उन्होंने ठीक किया। मैं वहां की गवर्नमेंट को बहुत बधाई देता हूं इस के लिए हालांकि वहां कांग्रेस गवर्नमेंट है लेकिन मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, जो भी गरीबों और पिछड़े हुए लोगों को उठाने का काम करेगा, जहां जहां जिस भी स्टेट में होगा उसकी तारीफ होगी। मैं कह रहा था कि भारत : इ म पिछड़े वर्ग की आबादी क्या है। तो उत्तर प्रदेश में कुल आबादी का 53.1 प्रतिशत है, बिहार में 46.2, मध्य प्रदेश में 45.2, कर्नाटक में 40.8। कर्नाटक में 40.8 है और चालीस का चालीस उन्होंने वहां दे दिया।

एक माननीय सदस्य : आप यह पिछड़ा वर्ग बता रहे हैं या पिछड़ा वर्ग ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव : पिछड़ा वर्ग। जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसी ही मनोवृत्ति दंगा फसाद कराती है।

मैं यह कह रहा हूं कि यह कोई एक व्यक्ति का सवाल नहीं है। नेशन का सवाल है। अगर 95 प्रतिशत को निकाल दीजिए तो नेशन नहीं रहेगा। आगे देखिए, उड़ीसा में 21.1 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 55.5 प्रतिशत, आसाम में 39.4 प्रतिशत, तामिलनाडु में 46.3 प्रतिशत और राजस्थान में 22.4 प्रतिशत।

सभापति महोदय : इस में बैकवर्ड में हरिजन भी आ गए हैं या नहीं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव : नहीं, ये केवल बैकवर्ड हैं हरिजनों के अलावा।

डा० अम्बेडकर को बधाई है और भारतीय संविधान के निर्माताओं को बधाई है कि उन्होंने हिन्दुस्तान की जो एग्जिस्टिंग हालत थी उस को देखते हुए इस को दो हिस्सों में बांटा। एक तो हरिजन आदिवासी, उनके लिए कम्पलसरी कर दिया राजनीति में, नौकरी में भी और पढ़ाई में भी। अब बचा दूसरा भाग जिस को हम लोग कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेंज, ओ बी सी, उन के लिए आर्टिकल 340 बनाया गया और यह कहा कि राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि कांस्टीच्यूशन लागू होने के बाद आर्टिकल 340 में एक कमीशन बैठाएंगे। वह पूरे देश में पता लगाएगा, खोज करेगा कि किस प्रतिशत में ये पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। तो 1953 में वह कमीशन बैठा, 55 में उसने अपनी रिपोर्ट दे दी पूरे देश की खोजबीन कर के, लाखों लाख रुपया उस पर खर्च हुआ। आज उस पर कानून बन जाना चाहिए था। लेकिन आज फिर कमीशन बनाने की बात कही जा रही है। तो यह कहां गारण्टी है उस की जब कि आर्डिनरी कोर्ट और स्पेशल कोर्ट के लिए 19 महीने लग गए, एक मामूली ईश्यू पर तो अगर हम इस तरह से कमीशन ही बनाते जाएंगे तो कभी भी यह आदेश हमारे पिछड़े वर्ग के हित में नहीं होने पाएगा। इसलिए यह अपार्च्यून टाइम है, यह सामयिक है और आवश्यक है कि इस बिल के द्वारा उन गरीबों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, हरिजनों को और आदिवासियों को हम रिलीफ दे दें।

इस के अलावा कुछ और भी हम ने इस में जोड़ा है। आदिवासियों और हरिजनों के लिए एक रिलीफ और हम ने मांगा है जिससे जाति पांत टूटे। उस के लिए एक तरीका हमने यह बताया है कि अन्तरजातीय विवाह हो। जो युवक और युवती डिफरेंट कास्ट के शादी विवाह कर लेंगे उन की योग्यता के अनुसार उन को तुरन्त नौकरी दे दी जाय

चाहे वे किसी भी जाति के हों। दूसरे, जो हरिजनों की बालिकाएं हैं वह लगभग 100 प्रतिशत अनपढ़ होंगी। एक दो परसेंट की बात मैं नहीं कहता, बाकी सारी ही अनपढ़ होंगी। तो उन के लिए शिक्षा कम्पलसरी कर दी जाय। कम से कम हरिजन और आदिवासी महिलायें तो अशिक्षित रहनी ही नहीं चाहिए जब हम इस देश में से जाति पांत और छुआछूत मिटाने जा रहे हैं। इसलिए इस बिल में एक यह भी खण्ड है कि इस को कम्पलसरी कर के पंचायत लेवेल पर कम से कम हाईस्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाय ताकि गांवों के लोगों के बच्चे भी पढ़ लें।

श्रीमन्, इसी तरह से हरिजनों पर रोजाना अत्याचार हो रहे हैं, रोजाना हाउस में डिस्कस होता है, हमारे मंत्री महोदय के लिए हेडेक होता है जवाब देना। वह तस्लीम करते हैं कि हां, है अत्याचार। हम उसको खत्म करेंगे। यह राष्ट्रीय शर्म की बात है। लेकिन इसके लिए कोई रास्ता नहीं निकाला जाता है। मैंने बिल में इसका एक रास्ता निकाला है कि एट्रासिटीज के जितने भी केसेज हों उन के लिए मोबाइल कोर्ट्स की स्थापना की जाये। किसी एट्रासिटी की सूचना आते ही मोबाइल कोर्ट गांव में पहुंचे और वहीं इंक्वायरी करके—सीरियस आफेंसेज 302 वगैरह के केसेज छोड़ कर, बाकी मामूली आफेंसेज के फैसले कर दें।

सभापति महोदय : आपका मतलब है समरी ट्रायल हो।

श्री रूपनाथ सिंह यादव : समरी ट्रायल की व्यवस्था तो अभी भी है। हमने इसमें यह कहा है कि किसी केस की सूचना मिलते ही मोबाइल कोर्ट वहां पहुंच कर, आन दि स्पाट बैठ कर, गवाही वगैरह लेकर फैसला करदें। वहां पर गवाह भी आसानी से मिल जायेंगे जब कि कोर्टों में गवाह आते आते टूट जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से मोबाइल कोर्ट्स बना कर हरिजन आदिवासियों के मुकदमें आन दि स्पाट निर्णीत किये जायें ताकि इन वर्गों के साथ सोशल अन्याय को समाप्त किया जा सके और जो अत्याचार उनके साथ होते हैं वह बन्द हो सकें।

एक दूसरी राष्ट्रीय समस्या का समाधान भी मैंने इस विधेयक में रखा है। इस देश में 40 फीसदी खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास कुल भूमि का 24 प्रतिशत भाग है लेकिन वे उस जमीन के मालिक नहीं हैं हालांकि उस भूमि पर खेती वही करते हैं। वे बटाईदार ह, शिकमी हैं, लेकिन भूमि के मालिक नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि जो खेत जोते वही उसका मालिक हो। इस देश में राजा-महाराजा, ताल्लुकेदार और नवाब समाप्त किए गए। अब हमारी जनता पार्टी की सरकार में भी कोई ऐसा कदम लैण्ड रिफार्म्स के बारे में उठाया जाना चाहिए। यह एक नई चीज होगी और तभी हम शोषित वर्ग का दिल जीत सकेंगे। फिर आप यह नहीं कह सकेंगे कि यह वर्ग हमारा साथ नहीं देता है। पिछले तीस वर्षों में गरीब की कोई सेवा नहीं हुई बल्कि इनको पोलिटिकलाइज किया गया लेकिन अब जनता पार्टी के शासन में खाली लिप सिम्पैथी से काम नहीं चलेगा। अब हमको कुछ कंक्रीट काम करना होगा। इसलिए मैंने इस बिल के जरिए से माननीय सदन का ध्यान इस ओर खींचा है। मैं चाहूंगा कि इन राष्ट्रीय समस्याओं पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार किया जाये। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि ठंडे दिल से विचार करके इस बिल को पारित करें।

मान्यवर, एक क्लाज की ओर मैं और आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। हिन्दुस्तान में अभी जात-पांत को टूटने में 50–100 वर्ष लग जायेंगे। जब इस देश में काफी शिक्षा हो जायेगी तभी जाति प्रथा टूटेगी जैसे कि दूसरे देशों में हुआ है। मैंने कहा है कि हमको कम से कम ध्योरी में इसको समाप्त करना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने कहा है कि उपनामों से जो जाति सूचित की जाती है उसको समाप्त किया जाये। जैसे तिवारी, यादव, मण्डल, वगैरह वगैरह सरनेम लगाए जाते हैं उनको एबालिश करने के लिए ला बना दिया जाये। ला बन जाने के बाद अगर मैं यादव लिखूंगा तो मैं पेनलाइज किया जाऊंगा। किसी एक व्यक्ति के करने से यह क्रान्तिकारी काम नहीं हो सकता है, इसके लिए कानून बना कर हमें पूरे समूह को प्रभावित करना पड़ेगा। स्वामी दयानन्द, गौतम बुद्ध, गांधी जी, डा० अम्बेडकर, डा० लोहिया—इन समाज सुधारकों ने अच्छे विचार रखे लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि अब सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। इस तरह का कानून बनाने में उसको कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कोई खर्चा भी नहीं करना होगा। जब यह कानून बन जायेगा तब कोई भी जात-पांत सूचक नाम नहीं रह जायेंगे।

श्रीमन्, एक क्लाज की ओर मैं और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस देश में जो शिक्षा के क्षेत्र में विषमता फलती है उसका एक कारण पब्लिक स्कूल हैं जो कि बहुत खर्चीले होते हैं। दूसरी तरफ जो प्राइमरी स्कूल पेड़ों के नीचे हैं वे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। इसलिए देश में जितने पब्लिक स्कूल हैं उनका समाजीकरण कर लिया जाय या फिर 70 फीसदी हरिजन बैकवर्ड क्लासेज के बच्चों का एडमीशन करने के लिए उनको मजबूर किया जाये और गवर्नमेण्ट उनकी फीस दे।

श्री कचरूलाल हेमराज जैन (बालाघाट) : सारे पब्लिक स्कूल बना दिए जायें—यह कहिए आप।

श्री रूपनाथ सिंह यादव : हम अपनी सरकार के साधनों को देखते हुए बात कर रहे हैं यह सीधे कह देंने कि हमारे पास पैसा नहीं है। पर इसलिए जो जनहित में है, जो राष्ट्र हित में है, उस के लिए

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

कांस्टीच्यूशन को भी अमेण्ड किया जा सकता है, इस में दिक्कत नहीं होगी, हाउस भी उस को मान लेगा।

एक बहुत जरूरी चीज मैंने खण्ड 15 में दी है। जैसे हम हिन्दू हैं, लेकिन हम मन्दिर के पुजारी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां वर्ण के हिसाब से हम शूद्र हैं, आदिवासी हैं, हम को यह अधिकार नहीं है। हम जब इन्सान हैं, तो हर इन्सान को मन्दिर का पुजारी होने, मन्दिर में प्रवेश पाने का अधिकार होना चाहिए। मैंने इस में कहा है—

"The priests in the prominent temples in the country shall not be from any particular caste or community. Every citizen shall be entitled to enter any temple as also to serve as its priest."

सभापति महोदय : इस को थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि पुजारी आप के यहां उस को मान. ज.त. है, जो पूज. करता है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव : यह बात सही है, किन्तु व्यावहारिक रूप से पुजारी के मायने हैं—ब्राह्मण, पण्डा। चमार या पासी पुजारी नहीं हो सकते। इसलिए मान्यवर इस तरह की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए।

मेरा एक सुझाव यह है कि हिन्दुस्तान में पिछले दो हजार वर्षों से हरिजनों, आदिवासियों को गांव के दक्षिणी हिस्से में, निचले हिस्से में या नदी के किनारे जगह दी जाती है, जब बाढ़ आती है तो सब साफ़ हो जाता है और इस से प्रभावित हमारे चमार, पासी, कुर्मी या अन्य जातियां होती हैं। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को गांव के अन्दर ऊंचे स्थान पर जमीन एकवायर करा कर मकान बना कर दिये जायें। मेरे बिल का उद्देश्य यही है कि उन को निचले हिस्सों से हटा कर अच्छी जगहों पर बसाया जाय।

सभापति महोदय, पिछले तीस सालों से बजट पास होते रहे हैं, लेकिन उन का फायदा किस को पहुंचा ? आप के कृषि विभाग ने 40 फीसदी बजट गांवों को दिया, लेकिन उस का लाभ किस को पहुंचेगा ? जितने बड़े किसान हैं, जो साधन सम्पन्न हैं, उन को उस का लाभ पहुंचा है और आगे भी पहुंचेगा, लेकिन भूमिहीनों को, खेतिहर मजदूरों को उस का लाभ नहीं पहुंच रहा है। इस लिए जब तक भूमिहीनों के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा, बड़े लोग ही सब लाभ पा जायेंगे। पिछले तीस सालों में पूंजीपतियों की संख्या बढ़ी है, आजादी के बाद हिन्दुस्तान आजाद जरूर हुआ, लेकिन रोटी के मामले में आजाद नहीं हुआ। आज भी 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं। डा० लोहिया ने 1963 में कहा था, जब पं० नेहरू इस देश के प्रधान मंत्री थे, 27 करोड़ आबादी ऐसी है, जिस की आमदनी 3 आने या 4 आने प्रतिदिन से अधिक नहीं है, जब कि उसी देश के प्रधान मंत्री उस जमाने में 25 हजार रुपये प्रतिदिन अपने ऊपर खर्च करते थे। मैं सिद्धान्ततः इस बात को मानता हूं कि इस तरह के खर्चों को कट्रोल कीजिए, कम कीजिए, और व्यय पर सीलिंग लगाइए। डेढ़ हजार या दो हजार रुपये से ऊपर जो आमदनी होगी, वह सरकार की होगी। आय और व्यय दोनों पर सीलिंग लगे और उस से जो धनराशि बचे उसे इन पिछड़े लोगों पर खर्च किया जाय, तभी हम विषमता को दूर कर पायेंगे—आर्थिक विषमता, शैक्षणिक विषमता, नौकरी और पढ़ाई की विषमता को दूर कर सकेंगे। इस उद्देश्य से हम सब को ठण्डे दिल से, पोलिटिक्स से ऊपर उठ कर, इस को स्वीकार करना होगा।

अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता—22-23 साल पहले एक कमीशन बना, अब प्रधान मंत्री श्री देसाई ने दूसरे कमीशन की घोषणा कर दी, इस के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन उस की उपयोगिता क्या है—जब सूची बन गई, खोज हो गई, तो फिर बार-बार खोज क्यों हो ? आपने शाह कमीशन बिठाया एमरजेंसी की ज्यादतियों की जांच के लिए। उसने रिपोर्ट दे दी। क्या आप और बिठायेंगे इस आधार पर कि उसकी रिपोर्ट पुरानी हो गई है ? अब आपने बना दिया है तो इससे क्या कोई अन्तर पड़ जाएगा ? अब जब आपने बिठा ही दिया है तो पुराने कमिशन की जो सिफारिशें हैं उनको आप अन्तरिम तौर पर लागू कर सकते हैं। रिलीफ देने के लिए उसकी बात को आप मान लें। अगर यह कमिशन मेरे इस बिल की व्यवस्थाओं से डिएग्री करता है, तो उस दशा में तरमीम किया जा सकता है।

सभापति महोदय : टर्म्ज आफ रेफ़रेंस दोनों की एक ही है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव : दोनों की एक जैसी हैं। यह अनावश्यक खर्चा है जो धारण किया जा रहा है। आप वह काम करें जो तुरन्त लागू हो। देर करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अपने बिल में जो सुझाव दिये हैं और जो पिछले कमिशन की सिफारिशों के अनुरूप हैं उनको आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने क्लाज 1 में 25 परसेंट, क्लाज 2 में 33 परसेंट क्लाज 3 में 33 परसेंट और क्लाज 4 में 40 परसेंट रिजर्वेशन की बात कही है। हरिजनों और आदिवासियों के लिए भी जो संविधान में रिजर्वेशन दी गई है मैंने इस में जिक्र कर दिया है। स्त्रियों के लिए स्पेशल कानून आप बना सकते हैं। उनके लिए मैंने चार परसेंट की बात कही है। जो हैंडीकैप्ड फौजी हैं और उनके डिपेंडेंट्स के लिए जो लड़ाई में, इण्डो पाक वार में मर गये थे मैंने पांच परसेंट की बात कही है। फ्रीडम फाइटर्ज के डिपेंडेंट्स के लिए चार परसेंट की बात कही है। इस प्रकार से कुल मिला कर साठ परसेंट होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंज में हरिजनों, गिरिजनों,

माइनौरिटी कम्यूनिटीज तथा दूसरी–बैकवर्ड क्लासिस के वास्ते मैंने सत्तर परसेंट की बात कही है। वह सब कुछ आपने किया तो बीस तीस बरस में जा कर ये लोग दूसरे लोगों के बराबर आ सकेंगे।

महात्मा गांधी का हम रोज नाम लेते हैं। यह सरकार गांधीवादी सरकार है। उनका जो एक अचूक तावीज दिया हुआ है मैं उसको आपके सामने रखता हूं। देश के करोड़ों गरीबों का इससे उद्धार हो जाएगा। इसको मैं पढ़ता हूं। उनका कहना था।

"मैं आपको एक तावीज दे देता हूं। जब कभी आप दुविधा में हों या आपको अपना स्वार्थ प्रबल होता दिखाई दे तो यह नुस्खा आजमा कर देखिएगा। अपने मन की आंखों के सामने किसी ऐसे गरीब और असहाय व्यक्ति का चेहरा लाइये जिसे आप जानते हों और अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी करनी उसके किसी काम आएगी ? क्या उसे कुछ लाभ होगा ? क्या उस काम से उसे अपना जीवन और भविष्य बनाने में कुछ मदद मिलेगी ? दूसरे मानों में, क्या आपकी करनी हमारे देश के लाखों करोड़ों भूखों, नंगे लोगों को स्वाराज्य की राह दिखाएगी ? बस इतना सोचते ही आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी और स्वार्थ मोम की तरह पिघल कर बह जाएगा।"

मा० गांधी।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री कृपनाथ सिंह यादव : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। इस पर अगर एक सप्ताह भी बहस चले तो कम होगी। मामूली विषयों पर इस सदन का बहुत समय खर्च होता है। यह तो एक राष्ट्रीय समस्या है।

गृह राज्य मंत्री को शायद पता हो लेकिन सदन को शायद पता न हो इस वास्ते तमिलनाडु की बात मैं बताना चाहता हूं। वहां पर इण्डयरेक्टली मोर दैन 50 परसेंट रिजर्वेशन है। वहां का जी ओ मेरे पास है, आपकी आज्ञा से मैं उसका पैरा 3 पढ़ना चाहता हूं। वहां पर 31 परसेंट और 18 परसेंट इस तरह से कुल 49 परसेंट रिजर्वेशन है। बाद में उन्होंने पैरा तीन में कहा है कि जो योग्यता के आधार पर आएंगे वे 49 परसेंट में नहीं माने जायेंगे।

"The claims of members of the backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also be considered for the remaining 51 per cent of seats which are filled on the basis of merit. Where a candidate belonging to Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes is selected on the basis of merit against any of the seats in the said 51 per cent of unreserved seats, the number of seats reserved for Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, should not in any way be affected.

4. The Government also direct that with effect from the date of this order, reservation of posts for recruitment to the public services be made at 31 per cent for Backward Classes and at 18 per cent for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all such services where reservation is provided by the Government of Tamil Nadu for the above classes.

5. Necessary amendments to Rule 22 of the General Rules will be issued separately....

इस तरह से 51 प्रतिशत अनरिजर्व्ड कोटा है। वहां अगर बैकवर्ड क्लास का कोई क्वालिफ़ाई कर ले तो वह 49 प्रतिशत में नहीं आयेगा। अब उत्तर प्रदेश में अनामली है।

सभापति महोदय : लेकिन इलेक्शन के मामले में नहीं है। इलेक्शन के मामले में तो कोई हरिजन भी सवर्ण की जगह खड़ा हो सकता है।

श्री कृपनाथ सिंह यादव : वह तो ठीक है, क्योंकि उद्देश्य यही है कि इनको इतना ऐडवांस कर दें कि औरों का यह मुकाबला कर सकें। अभी यह मुकाबला नहीं कर सकते हैं इसलिए कानून की बैसाखी देनी पड़ेगी। इस कैंसर को हमें हटाना पड़ेगा जो सदियों से चला आ रहा है। बाहर निकलते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आपने गरीब लोगों के लिए क्या किया ? कोई अधिनियम तो है नहीं न हरिजन का और न बैकवर्ड का। खाली जी० ओ० है। मैं संविद सरकार मे 5 महीने के लिए मंत्री बना तो मैंने कहा कि हम अपने विभाग में 60 सैकड़ा हरिजन, बैकवर्ड और मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। और 5 महीने उसको मैंने इमप्लीमेंट कराया। अधिकारियों ने कहा कि कैसे होगा ? तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट हम हैं, जैसा आदेश दें उसका आपको पालन करना है। इसलिए निश्चय करना

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

हमारा काम है और उसको इमप्लीमेंट कराना भी। अगर ब्यूरोक्रेसी के भरोसे रहे तो काम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में सरकार बनी थी और बहुत से बैकवर्ड क्लास के लोग मंत्री बने थे। किन्तु अन्य किसी ने आरक्षण आदेश नहीं किये।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। आपने बहुत समय ले लिया। और लोगों को भी बोलना है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव : मैंने आपको बताया कि मेरी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है इसलिए मुझे गर्व है। उत्तर प्रदेश में मैंने पेश किया था और वहां भी वोटिंग हुई और उसका फल निकला। कांग्रेस की सरकार आई, श्री नारायण दत्त तिवारी ने 15 परसेंट किया था। अब माननीय रामनरेश यादव को उसको बढ़ाना चाहिए।

यह बहुत ही महत्व पूर्ण बिल है और मैं चाहूंगा कि बिना बहस के इसको पास किया जाय। यह ऐसा दावा है जो बिना किसी बहस के मन्जूर होना चाहिए, और आप अदालत हैं इसकी डिक्री कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस पर अपने विचार दें और इस बिल को स्वीकार कर के एक क्रान्तिकारी कदम जो 30 साल में नहीं उठा है, उसको उठा कर पूरा कर दें।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to rovide for abolition of social disparities, casteism and removal of educational, social and economic backwardness of Harijans, Girijans and other backward classes, be taken into consideration."

इस विधेयक में दो संशोधन पेश किये गए है। एक माननीय हुकमदेव नारायण यादव का और दूसरा डा० रामजी सिंह का। जहां तक माननीय विनयक प्रसाद यादव के संशोधन का सवाल है वह समय के बाद का है इसलिए अनियमित है। तो क्या डा० रामजी सिंह और माननीय हुमदेव नारायण यादव अपने संशोधन पेश करेंगे ?

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : जी हां।

श्री हुकम देव नारायण यादव : (मधुबनी) : जी, हां।

डा० रामजी सिंह : माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं भारतीय सामाजिक विषमता उन्मूलन विधेयक, 1977 में, जो माननीय रूपनाथ सिंह यादव जी ने पेश किया है निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :

"कि विधेयक पर 31 दिसम्बर, 1979 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए।" (2)

श्री हुकमदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय सामाजिक विषमता उन्मूलन विधेयक, 1977 में निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :

"कि विधेयक पर 15 मई, 1979 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए।" (1)

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मान्यवर, हमने भी संशोधन दिया है।

सभापति महोदय : वह टाइम से बाहर है, इसलिए आपका संशोधन अनियमित है। आप बैठ जाइये।

श्री विनायक प्रसाद यादव : आप यदि चाहें तो उसको ले सकते हैं, इसलिए मैं आपकी इजाजत चाहता हूं।

सभापति महोदय : जी नहीं, यह नहीं हो सकता है।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): There are large sections of people in our country who have to be protected from oppression socially, educationally, economically, politically. Gandhiji has done much to protect these people.

They are of various kinds. Some are nomads. There are people living on the hills without habitation, depending on forest produce and without any agriculture. These are the girijans and nomads. They must be protected first because they have no habitation. They have to be rehabilitated first.

For example, in Gujarat we come across two major communities—one is called Barwars, the other I do not remember—numbering 15 lakhs. They are shepherds and cattle breeders. When I went to Anand, I met these people and saw under what conditions they are living. They are nomads. Of course, they possess

per cent of the Gujarat cattle, but they are not having any home. They have no lands to graze their cattle because in Gujarat the non-agriculturist cannot purchase land. Therefore, there are such difficulties and legal lacunae in their way. Such people have to be rehabilitated. They must be protected.

I would have been very glad if the Government had brought forward legislation involving the principles which Shri Yadav has included in the Bill. But the Government have not brought forward such a Bill, and they are not seriously thinking of it, though there are clashes in Bihar and other places in regard to this.

I ask all our people: is it not necessary to protect the weaker sections in these clashes from the upper communities? I am glad to say that in Madras, when the Brahmins, constituting 3.6 per cent of the population, occupied all the seats in colleges and all the posts in Government, a movement was started which led to the formation of the Justice Party. Justice they wanted, justice to have seats in the colleges, facilities for education and also proportionate representation in the posts.

The Justice Party won the seats and formed the Government, and they enunciated the Communal G.O. which is now responsible for the protection of the weaker sections throughout the country, because that was the first thing of its kind. After that, Dr. Ambedkar agitated for the protection of Harijans, and Gandhiji supported him and took up the cause. Therefore, with the advent of freedom, we got our Constitution in which reservation for Harijans has been incorporated.

When the Justice Party Government was formed and the Communal G.O. was passed, it was utilised only by the upper communities, the Reddys, the Khammas and other people, non-Brahmins, but not by the backward communities. The Harijans got the reservation under the Constitution. The upper classes were getting the posts and seats because of the Communal G.O., but not the backward communities. Therefore, the backward communities organisation was started in Madras State.

Shri Ramaswamy Naicker and others, the DMK and the AIADMK and others supported them. It is only because of that that the backward classes have also been given protection. The same is the position in Karnataka, Andhra and in other places in the South. Therefore, the South was responsible for the protection of the weaker sections. In Northern India, where they say that they are very forward and progressive, I am sorry to say that it is not so.

We see that in Bihar the upper communities like Kayasthas are fighting for jobs. I am not able to understand why they are fighting. Is it not necessary to reserve seats for the weaker sections? Do they want to grab all the posts in Government and all the seats in the colleges as they have done previously? Do they want 100 per cent of the jobs and seats? We cannot agree to it. Therefore, they must have their proportionate representation in the colleges and also in the Government appointments. If we agree to it, is it not necessary for us to bring forward a uniform law, through with variations in States as per the existence of the society to protect these people? Certainly we have to. Is it not necessary for the Government to do it? Though Kaka Kalelkar has given his report, it has been shelved and no action is taken on that. Therefore, it is quite necessary for us to enlist who are the backward people and see that they are given protection.

With regard to reservation for Harijans, it is quite nice. Our Andhra Pradesh Government has done a

[Shri P. Rajagopal Naidu]

good thing. Not only with regard to Assembly seats, but in Panchayat Samitis and Panchayats and cooperative societies and cooperative institutions also, we have reserved seats for them.

SHRI K. RAMAMURTHY (Dharmapuri): Not only in Andhra Pradesh, but in Tamil Nadu also.

AN HON. MEMBER: In Maharashtra also.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: I am glad. Therefore, in the South we are giving more protection for them. Like wise, in the whole country, everywhere, they must be given protection. They must not only be protected, their conditions should also be bettered socially, educationally and politically also they must be protected.

With regard to oppression, we want to protect them and improve their social status, political status and economic status; now we have to protect them from oppression. We see that everywhere the landless, the Harijans and the Adviasis in urban areas also and even the backward communities are being oppressed. The conflict is growing. The class consciousness is growing in the lower strata. They are now realising their rights. Previously when the upper communities beat them, rebuked them, they used to keep quiet. But now they are also educated. They are also having some status. Now they are not going to tolerate such things, such beating and oppression. Therefore, the conflict is widening. Now it is time for the Government to see that they are protected, their rights are protected. Till now, they have not asked for anything. They accepted the lower status. Hereafter, they are not going to accept that. We are also not going to accept that status for them. Though we belong to forward community, we are not going to accept that position because, unless the lower strata of masses are treated as equals with others, our country is not going to go forward. There will be class conflict; there will be blood shed and, I fear, our country is going to that end. Therefore, I appeal to all our members here, not only our members but all our people, to see that they are given equality.

The Janata Government says that they have restored freedom. I do appreciate that to a certain extent. Is there freedom for Harijans and Girijans and economically backward people for voting? They are not having that freedom. If at all they have restored freedom, there is in this country only for upper communities, industrialists, traders, urban people, smugglers and dacoits, not for the lower strata of masses. We want their freedom. For the we have to fight. we have to support freedom for them. If at all any legislation is going to be brought forward, it is for them we have to bring the legislation.

श्री युवराज (कटिहार) : सभापति महोदय, जो विधेयक माननीय सदस्य श्री रूपनाथ सिंह यादव ने प्रस्तुत किया है उस सन्दर्भ में मैं दो निवेदन करना चाहूंगा । हमें सामाजिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना होगा कि क्या वजह है कि पिछड़ी जातियां जो इस देश में हैं वह इतनी सामाजिक विषमता से ग्रसित हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में वे आगे नहीं आ पातीं । बिहार हो या उड़ीसा, मद्रास हो या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश जहां भी जायं एक बड़ी संख्या में लोग ब त पिछड़े हुए हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी दृष्टि से पिछड़ हुए ह । आज हम सभी एक ऐसी व्यवस्था की तलाश में हैं जिस में देश का आम आदमी सम्पूर्ण देश के निर्माण में साझेदारी प्राप्त कर सके और इस स्थिति से ऊपर उठ कर राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन में वह बराबर ी साझेदारी हासिल कर सके ।

क्रांतिद्रष्टा की यह विशेषता होती है कि वह कर्म के लिए उन लोगों को ललकारता है जो सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। 1947 के बाद जब राष्ट्रवादी भावनायें बहुत प्रबल थीं तो सम्पूर्ण देश में जो हमारे राजनैतिक नेता थे वे देश से शोषण गरीबी छुआछात मिटाने के लिए कटिबद्ध थे । लेकिन धीरे धीरे जाति पांति की राजनीति इस देश में शुरू हुई और नतीजा यह हुआ कि जो हमारा मूल आदर्श था उस से हम विरत हो गए। इसलिए लोक नायक जयप्रकाश

नारायण ने सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा दिया और उन्होंने युवा वर्ग को आवाहन किया कि सामाजिक पिछड़ापन अगर दूर करना है तो जब तक लोगों की आर्थिक-स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक सामाजिक विषमता का भी अन्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे सामने जो समस्या है वह यह है कि गरीबी और जातीयता दोनों का अन्त हो जिस से विषमता का लोप हो।

अभी हाल में आप ने देखा कि श्री भोला पासवान शास्त्री जी हरिजन और आदिवासी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं और अभी दो दिन पूर्व इसी सदन में प्रधान मंत्री जी ने पिछड़ी जाति का अध्यक्ष श्री बी० पी० मण्डल जी को बनाया, उस की घोषणा विधिवत् उन्होंने की। तो इन आयोगों का दायित्व है कि जो स्थिति है, जो समाज में प्रवृत्ति है उसको बदलने के लिए क्या उपाय किये जायं—यह सुझाव उनकी तरफ से आयें। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यहां लोक सभा में और प्रदेशों की विधान सभाओं में कानून बनते हैं पर बाहर जो बुद्धिजीवी वर्ग है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाये और किस तरह से सामाजिक और पिछड़ेपन की विषमता का अन्त किया जाये।

अभी हमारे एक दक्षिण के भाई अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मैं अभी उत्तरी बिहार के चुनाव में गया था। यहां पर हम हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रोते हैं लेकिन जब उत्तरी बिहार के समस्तीपुर में चुनाव हुआ वहां पर जो काफी धनाढ्य, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न लोग के थे उन तमाम लोगों का आह्वान करके कहा गया कि यह जो कांग्रेस (आई) की उम्मीदवार श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा है वह सवर्णों की है और पिछड़े लोगों को सुविधा देने का जो नारा है वह बिल्कुल गलत है। इसी आधार पर वहां चुनाव लड़ा गया। उस सारे क्षेत्र में एक अशांति का वातावरण पैदा हो गया था लेकिन ग रीब आदमी इतने संगठित थे कि लाख अवरोध पैदा करने के बाद भी उन्होंने प्रो० मेहता को अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करके इस लोक सभा में भेजा। मैं कहना चाहता हूं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पिछड़े वर्गों और सवर्णों में सम्पन्न लोग हैं, जितने भी पढ़े-लिखे लोग हैं, उन का काम है कि वे सामाजिक परिवर्तन के लिए दिशा दें। ताकि इस देश से सामाजिक एवं आर्थिक विषमता का लोप हो सके।

10 अप्रैल, 1978 के "नवभारत टाइम्ज" के अंक में एक सम्पादकीय टिप्पणी छपी है, जिस में सम्पादक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है—

"..... न जाने मूल पर चोट करने की बात क्यों नहीं सूझती। मूल प्रश्न यह है कि जब तक समाज में बड़ा और छोटा, सुविधाभोगी और दुविधाभोगी तथा तथाकथित पावन और अपावन के भेदों का निर्माण करने वाली व्यवस्था पर चोट नहीं होती, तब तक संरक्षणों के माध्यम से हम समाज का चरित्र नहीं बदल सकते। इतना नहीं, संरक्षण समाज के विभिन्न वर्गों में स्पर्धा, द्वेष और शत्रुता जगायेंगे ही, उनसे बचा ही नहीं जा सकता। सही हल तो यह है कि समाज के पिछड़े हुए लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार की सम्पूर्ण शक्ति खर्च हो, उन के बच्चों को शिक्षा के पूर्ण अवसर निःशुल्क प्राप्त हों, पब्लिक स्कूल अविलम्ब बन्द किए जांय, जिन में आज सुविधाभोगी वर्ग के बच्चे अफसर बनने की काबलियत और अंग्रेजियत हासिल करते हैं तथा सरकारी नौकरियों में चयन के लिए यह अनिवार्य हो कि अभ्यर्थी गांव का रहने वाला हो, उसे ग्रामीण भारत की दशाओं का ज्ञान हो, वह गांव में रहने के लिए तैयार हो और उसे भारतीय भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

17.00 hrs.

श्री आर० एन० राकेश (चायल) : सभापति महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि सम्मानित सदस्य श्री रूपनाथ सिंह जी ने पिछड़े वर्गों के हित के लिए यह विधेयक आप के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं —उन्होंने कई बार कहा कि बैकवर्ड की बात नहीं सुनी जाती, बैकवर्ड के हित की उपेक्षा हो रही है, पिछले तीस वर्षों में पिछली सरकार द्वारा कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट की भी उपेक्षा की गई। यह बात सही है कि उपेक्षा की गई, लेकिन जहां तक इस सरकार की बात है—जनता पार्टी के इलैक्शन मेनिफेस्टो के पेज 34 पर इस के लिए प्रावधान किया गया है और हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी इस चीज को मान लिया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं—चौधरी चरण सिंह जी जब देश के गृह मंत्री थे, तब कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट 14 महीनों तक उन की टैबिल पर क्यों पड़ी रही? वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उस को वहां भी इम्प्लीमेण्ट कर सकते थे, पर वहां उस की इम्प्लीमेण्ट क्यों नहीं किया गया?

मैं बड़ी सफ़ाई के साथ कहना चाहता हूं—लोग जब बैकवर्ड क्लास के नेता बनते हैं, जब उन को काम करने का मौका मिलता है तो फिर उन के हितों की उपेक्षा क्यों करते हैं? उन के हितों की उपेक्षा के लिए आज वे स्वयं जिम्मेदार हैं? भाई रूप नाथ सिंह डाक्टर लोहिया के चेलों की बात करते हैं। डाक्टर लोहिया बहुत महान थे। मैं यह नहीं कहता कि उन के सभी चेले एक समान हैं, लेकिन जिन को काम करने का मौका मिला, मैं उन से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यह पवित्र काम क्यों नहीं किया। माननीय राज नारायण जी अपने को डा० लोहिया का बहुत बड़ा चेला कहते हैं, लेकिन जब वह केन्द्रीय सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, विशेष सुविधा के नाम पर उन्होंने जो सुविधायें दी हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, किसी भी पिछड़े वर्ग को नहीं दी, वे भी जाति-बिरादरी के दायरे में पड़ गये, उससे ऊपर नहीं उठ पाये हैं। 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था, काका कालेलकर ने सारे देश का दौरा किया और 1955 में अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की।

[श्री आर० एन० राकेश]

उसके बाद 1965 में इस पर बहस हुई, बहस के दौरान यह सवाल उठा कि पिछड़ा वर्ग कौन है ? पिछड़े वर्ग की परिभाषा कालेलकर आयोग की रिपोर्ट में कहीं नहीं दी गई है .....

श्री राम अवधेश सिंह (बिक्रमगंज) : दी गई है ।

श्री आर० एन० राकेश : नहीं दी गई है । पिछड़े वर्ग में कौन आते हैं--न परिभाषा दी गई है और न आख्या दी गई है । 1965 में जब पं० गोविन्द वल्लभ पंत गृह मंत्री थे ....

श्री राम अवधेश सिंह : उन की रिपोर्ट तीन वाल्यूम्ज में है । उन्होंने उन जातियों की सूची बना कर कहा है कि ये जातियां पिछड़ी हुई हैं--सामाजिक और शैक्षणिक तौर से बैकवर्ड हैं । लगता है -- माननीय सदस्य ने उस रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है और वह बिना पढ़े ही बोल रहे हैं ।

श्री आर० एन० राकेश : आपने वही पढ़ा जो आपको अच्छा लगा, पर जो सही में है वह नहीं है । 1965 में जब पं० गोविन्द वल्लभ पंत आये तो उन्होंने अपने बयान में कहा— जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, मैं उन को बैकवर्ड मान लेता हूं, मैं उन्हें पिछड़े वर्ग में मान लेता हूं । अब मेरे सामने सवाल है—सामाजिक दृष्टिकोण से कौन पिछड़ा है ? मेरे साथियों ने कहा—मेरे से पूर्व वक्ता ने भी कहा—हमारी सामाजिक विषमता का कारण जहां जातीयता है, वहां उस से भी बढ़ कर आर्थिक है ।

चाणक्य ने कहा था :

> वह व्यक्ति जिस के पास धन है, वही कुलीन है, वही विद्वान है, श्रुतिवान एवम् गुणवान है । वही वक्ता है और दर्शनीय है और उसके सभी गुण स्वर्ण के समान हैं ।

उत्तर प्रदेश में पंद्रह परसेंट रिजर्वेशन है और बिहार में 26 परसेंट । मैं इसका समर्थन करता हूं । मैं यह भी समझता हूं कि केवल जात बिरादी की बात न करके हम को सारे समाज की बात भी करनी चाहिये, सारे समाज को ऊपर उठाने की बात करनी चाहिये । इस दृष्टि से आरक्षण मात्र जातीयता के आधार पर न करके आर्थिक सीमा के आधार पर भी कर दिया जाए और फिर 26 की जगह इसे 50 परसेंट या 60 परसेंट कर दिया जाए तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा । जो गरीब हैं उन्हें यह सुविधा मिलनी चाहिये । उनके लिए आरक्षण होना ही चाहिये । हर वर्ग में गरीब लोग हैं उनका खयाल भी हम को करना चाहिये । शरीर के तीन हिस्से होते हैं । सिर, सिर के नीचे और पैर के नीचे का हिस्सा । कमर के नीचे के हिस्से की उपेक्षा करेंगे तो शरीर की चलने की शक्ति खत्म हो जाएगी । गले के ऊपर के भाग को अलग कर देंगे तो हमारे सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी । पैर और सिर से परे बीच के हिस्से से कोई लाभ नहीं रह जाएगा । इसलिए सारे शरीर का संतुलित विकास होना चाहिये । पूरे समाज का जो सन्तुलन है वह बना रहना चाहिये । सारे समाज का विकास होना चाहिये । जो भी गरीब है उसको ऊपर उठाने की बात होनी चाहिये । जो सामाजिक, जातीयता आदि के आधार पर उपेक्षित हैं उनके लिए आरक्षण तो होना ही चाहिये लेकिन साथ साथ इस आरक्षण के दायरे को बढ़ा कर उनको भी शामिल इस में किया जाना चाहिये जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं । ऐसा करने के लिये यदि 60--70 परसेंट आरक्षण कर दिया जाए तो मैं इसका स्वागत करूंगा । समस्त समाज को इस दिशा में ले जाने की, इस तरह से ऊंचा उठाने की बात होनी चाहिये ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्पादन के जितने स्रोत हैं उन सभी में उक्त आरक्षण की नीति को लागू किया जाए ।

जहां तक भूमि सुधार का काम है इस काम में राज्य सरकारें असफल रही हैं । मैं चाहता हूं कि भ सुधार का काम केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले और इसके लिए एक केन्द्रीय कानन बने जो पूरे भारत में लागू हो और एक ही भूमि सीमा सभी जगह लागू हो ।

17.08 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस को गैर सरकारी बिल समझ कर इसकी उपेक्षा नहीं की जाएगी । इसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिये और सरकारी सूची में इसको शामिल कर लिया जाना चाहिये ताकि समाज के सामने इस सरकार की सही तसवीर पेश हो सके और जनता को पता लग सके कि सरकार क्या करने जा रही है । ऐसा आपने किया तो देश आगे बढ़ सकेगा । यह देश हित में है कि इस बिल को स्वीकार कर लिया जाए ।

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): You will see and the hon. Members know that disturbances and violence have spread out throughout the lenght and breadth of the country. We have to find out the real cause.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, the real cause is that the harijans, girijans, adivasis and the weaker sections of the people are being ignored. I welcome this Bill of our learned friend Shri Roopnath Singh Yadav and this Bill should be adopted and passed by this House. There have been certain guidelines to protect the rights and the privileges of the weaker sections of the people.

Now, Sir, it is unfortunate that even after thirty years of Independence, about sixty per cent of the population do not enjoy the literacy. This is one of the main causes. We should get the weaker sections of the people..... the harijans, girijans, adivasis, tribes

and backward classes educated. For this, massive adult education centres should be opened and we should get them educated free of all charges. The primary schools are there. They are getting education. But they are not getting higher education in higher secondary schools and colleges. They should be educated there too free of all charges. They should be exempted from fees.

Now, Sir, you would see that there are lakhs and lakhs of farmers most of whom are harijans, tribes and adivasis; they are landless still. We should give them lands; we should give them houses; they should be given assistance. Government should come forward to build up houses; they should provide sufficient funds in the budget for making houses for them, They have no houses and they are landless.

Recently, there has been a series of murders, atrocities on harijans not only in Bihar and U.P. but also elsewhere and, practically, throughout the length and breadth of the country. What for? So, Sir, casteism must go. We cannot tolerate casteism any more. It must go; it must be abolished.

Economic backwardness of the weaker sections of the people is one of the main causes. They should get all facilities such as reservation of seats as suggested by Shri Yadav. It should be there for which purpose there should not be so much violence or disturbance in the country as we see in Bihar and U.P. The House of the People is here; they are the representatives of the entire country. We should find out ways and means to solve this problem once and for all. If, in this way, the disturbances continue and if the harijans, girijans, adivasis and tribes are neglected, then, I am afraid there will be only disintegration of the country; there will be chaos and disturbances only. I do not know, if chaos and disturbances continue in the country, what will be the fate of our country. So, Sir, I would appeal through you, to the hon. Ministers that they should come forward with an open mind so that they can accept the bill, get it passed so that the sufferings of the harijans and girijans and other backward classes could be met to some extent. If you do not try to remove their sufferings and if we do not improve their lot, then our Independence will be in vain. I can tell you that if the status of these weaker sections of the people is not raised, there will be revolution throughout the length and breadth of the country and the weaker sections, the harijans, the girijans, tribes and adivasis will no longer tolerate this humiliation. I say that even now if harijans go to some houses of the Brahmins they do not allow them to sit on the benches. This is the position in our country. I have travelled throughout the length and breadth of the country. I have never seen anywhere in the world this type of thing, this casteism must go. This is an evil in the country. This evil must be removed. But I would appear through you, Sir, that Government should come forward with a comprehensive Bill for the improvement of the weaker section of the people. About 60 of our country's population are illiterate. They must be educated. They must get proper and free education for which sufficient funds must be provided. Massive education drive should be started. In tribal areas like Sunderbans the people have no place to live in, they have no house and they are staying here and there, in the varandahs and courtyards of other people's house. Unless the position is improved, I am afraid our country cannot prosper. The upper class people alone cannot defend the independence of the country. People belonging to weaker section must be raised to the equal level. All efforts should be made to see that they get proper education, proper housing and other facilities, etc. They should be given all the privileges as other people of our country enjoy. Our Constitution provides equal opportunities and privileges to all the people of the country and they should not be denied these privileges. This we should keep in mind. Thank you.

श्री राम अवधेश सिंह (विक्रमगंज): उपाध्यक्ष महोदय मैं सबसे पहले श्री रूपनाथ सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह का बिल इस सदन के सामने पेश किया है। यह बिल देखने में तो छोटा है, लेकिन चौतरफा है। अगर इस बिल को सम्पूर्ण रुप से स्वीकार कर लिया जाये तो एक ही साथ सामाजिक और आर्थिक क्रांति इस देश में होगी और पूरे मुल्क में सदियों से जो दबे हुए और कुचले हुए लोग हैं, उनके मन में आशा का संचार होगा कि यह सरकार हमारे लिये कुछ कर रही है। यही नहीं, बल्कि जो दबाये और सताये गये हैं, उनको राजकाज में न केवल हिस्सेदारी मिलेगी, बल्कि समाज में सम्मान भी प्राप्त होगा।

आपको मैं यह बताना चाहता हूं इस बिल के बारे में कि हम लोग बहुत दिनों से नारा लगाते रहे हैं कि—

जो जमीन को जोते बोये, सो जमीन का मालिक होये।

अगर मेरे जैसे आदमी की इस देश में कुछ चले तो मैं चाहूंगा कि जो खतियाना है, रिकार्डज हैं लैंड के, और रिकार्डज आफ राइटस, उनको जला दिया जाये और कागज पर कलम की नोक से खींची गई टेढ़ी-मेढ़ी लकीरों से जो जमीन पर अधिकार है, उसको जला दिया जाये और धरती की छाती पर जो हल की नोक से लिखता है, वही धरती का अधिकारी बने। वही बात इस बिल में लिखी हुई है।

अंग्रेजों के जाने के बाद भी अंग्रेजियत के चलते इस देश में जो दो वर्ग बनते जा रहे हैं—अफसर का बेटा अफसर और दूसरी तरफ किसान का बेटा किसान, किसान का बेटा चपरासी और किरानी का बेटा चपरासी—इसको भी खत्म करने की व्यवस्था इस बिल में है। जो पब्लिक स्कूल हैं उनको खत्म कर दिया जाये, इसके माध्यम से इसमें इसकी व्यवस्था है। इस बिल में और भी बहुत अच्छी बातें हैं।

एक माननीय सदस्य: लेकिन सरकार इसे माने तो।

श्री राम अवधेश सिंह: अगर सब सदस्य पार्टियों के बैरियर को छोड़ कर इस बिल का समर्थन करें, तो सरकार को नाक रगड़ कर मानना पड़ेगा। सरकार कौन चीज होती है? मैं चाहता हूं कि आपोजीशन में बैठे हुए सदस्य और इधर बैठे हुए सदस्य इस बिल को पास कर दें; फिर देखें कि सरकार क्या करती है। सरकार को झख मार कर इसको मानना पड़ेगा।

मैं दक्षिण भारत के लोगों, और खासकर परियार ई० वी० रामास्वामी और जस्टिस पार्टी के निर्माताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन लोगों ने इस देश में पिछड़ी जातियों के लिए, कुछ करने के लिए पहल की, कुर्बानी और त्याग किया, संघर्ष किया, बलिदान किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। अंग्रेजों के जमाने में भी पिछड़ी जातियों के लिए कुछ नहीं किया गया, और अंग्रेजों के जाने के बाद भी यहां हुकूमत में बैठे हुए लोगों के कारण, कांग्रेस पार्टी के कारण, जिसका नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था, उस ने हक खानदान वाले निछक्का ब्राह्मणवादी नेतृत्व के कारण आज तक दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। मूल संविधान में पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैं ई० वी० रामास्वामी को धन्यवाद देता हूं—उनके प्रति पूरे देश की पिछड़ी जनता आभारी रहेगी—, जिन्होंने संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण तामिलनाडु में संघर्ष छेड़ा, और केन्द्र के जो भी बड़े नेता दक्षिण भारत में जाते थे, वह उनको काले झंडे दिखाते थे और उनके खिलाफ सत्याग्रह करते थे। जब उस समय के गृह मंत्री, सरदार वल्लभभाई पटेल वहां गये, तो श्री रामास्वामी ने उनको समझाया कि तुम भी शूद्र हो, हम भी शद्र, ह यह संविधान ऐसा बनाया गया है कि अंग्रेजों के जमाने में 1929 से मद्रास प्रैजिडेंसी में पिछड़ों के लिए जो रिजवशन था, वह भी छीन लिया गया है; इस संविधान को हम नहीं मानेंगे, इसको दुरुस्त करो तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान में संशोधन पेश किया। संविधान में पहले अनुच्छेद 15 की तीन ही उपधारायें थीं; उपधारा (4) बाद में जोड़ी गई। उसमें जान-बूझ कर "सोशली एंड एजुकेशनली" शब्द रखे गये, "इकानोमिकली" शब्द नहीं लिखा गया। यह पेरियार ई० वी० रामास्वामी की देन है कि उन्होंने संघर्ष छेड़ा और संविधान में संशोधन कराया।

उस संशोधन के अनुसार 1953 में पंडित काका कालेबकर कमीशन बहाल हुआ, जिसने सारे देश में घूम घूम कर पता लगाया कि पिछड़ों की क्या स्थिति है और अपनी रिपोर्ट दी। अगर उस समय गृह मंत्री के पद पर सरदार वल्लभभाई पटेल होते, तो पिछड़ों को उसी समय आरक्षण मिल गया होता। लेकिन संयोग से उस कुर्सी पर एक निछक्का ब्राह्मण बैठा हुआ था—गोन्विद वल्लभ पन्त। उस आदमी ने क्या किया? उसने कहा कि यह रिपोर्ट ठीक नहीं है, इस लिए इसको लागू नहीं किया जायेगा, बल्कि तमाम राज्यों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वे अलग अलग अपने यहां लागू कर लें। तो दक्षिण भारत में आन्दोलन हुआ था। दक्षिण भारत में पेरियार ई०वी० रामास्वामी जैसे नेता थे, जिन्होंने लोगों को जगाया। लेकिन उत्तर भारत में पिछड़ों में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ, जिसमें यह हिम्मत हो कि वह नेतृत्व को चुनौती दे और कहे कि इसको लागू करो। हम लोग विरोधी दल में लोहिया जी के नेतृत्व में यह नारा लगाते थे कि सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ। लेकिन शासक दल जो ब्राह्मणवादी नेतृत्व वाला था, उस में किसी को यह हिम्मत नहीं हुई कहने की कि यह आरक्षण दिया जाये और जो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट है उस को लागू किया जाय। चूंकि नेतृत्व ब्राह्मणवादी था इसीलिए यह नहीं हो पाया। अब चूंकि नेहरू खानदान वाली कांग्रेस का वर्चस्व टूट गया है पिछड़ों का नेतृत्व उभड़ा हुआ है इसीलिए आज हम इस सदन में बोल रहे हैं, दहाड़ कर बोल रहे हैं कि इस को लागू होना चाहिए। हमारा भी नेतृत्व ब्राह्मण के हाथ में है लेकिन हम उस के सामने बोल रहे हैं, हमारा नेतृत्व उदार है। लेकिन वह नेहरू खानदान वाला जो मामला था उस के सामने कोई बोल नहीं सकता था। आज हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम ने वादा किया है, इस को लागू करो।

मैं चाहूंगा कि इस बिल में कुछ संशोधन हो जाये। मैं ने संशोधन दिया है। इस के डीटेल्स में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम को लगती है कि शायद क्लेरिकल मिस्टेकस हैं। जैसे हरिजन आदिवासियों के लिए जो रिजर्वेशन का परसेंटज उन्होंने दिया है वह मुझको सही नहीं लगा क्यों कि अभी 15 परसेंट, 7 परसेंट या 8 परसेंट हरिजन आदिवासियों का रिजर्वेशन क्रमशः है तो उस को उन्होंने क्लास टू, थी और फोर में घटा दिया। क्लास वन में तो ठीक रखा है। लेकिन उन में घटा दिया है। वह घटाना नहीं चाहिए। हो सकता है कि क्लेरिकल मिस्टेक हो, इसीलिए मैं ने कहा कि यह जानबूझकर नहीं लगता है। यह लगता है कि प्रिन्टिंग मिस्टेक है क्यों कि जो सुविधा पहले से मिली है उस को कम करने वाला कोई विधेयक आएगा तो हम लोग उस को स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि उस को कहेंगे कि इस को वापस लौटाओ। तो मैं ने उस के लिए संशोधन दिया है। अगर वह आ जाये तो वह संशोधन मान लेने के बाद यह बिल कोई मामूली बिल नहीं रह जायेगा . . .

श्री रामदेनी राम (पलामू) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बोलने वाले बहुत माननीय सदस्य हैं, इसलिए मैं आप से अनुरोध करुंगा कि इस पर समय बढ़ा दें।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, 5 बज कर 40 मिनट पर यह डिस्कशन खत्म हो जायेगी। लेकिन इस के बाद यह बिल अगले सेशन में जायेगा। अभी 5–40 पर आधे घंटे की चर्चा चलेगी।

श्री उग्रसेन (देवरिया)। जरा हम लोगों को भी सुन लीजिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप के बारे में क्या कहें? और लोग भी तो हैं। यह अगर खत्म कर देते हैं तो एक स्पीकर और बोल सकते हैं दस मिनट में।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं अच्छी-अच्छी बात सुना रहा हूं। आप सुनिए तो।

आज आरक्षण के सवाल को ले कर इतना कोहराम मचा हुआ है। लगता है कि किसी का घर जल रहा है। इस सदन में भी बहस में यह बात आएगी इसलिए मैं पहले बता देता हूं कि आर्थिक आधार होना चाहिए यह बात जो है इस का इस से कोई ताल्लुक नहीं है। यह आरक्षण का मामला सीधा राज्य सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल है और सम्मान का सवाल है। एक भिखमंगा पंडित भी दस लाख की हैसियत वाले हरिजन को दस लाख की हैसियत वाले किसी गड़ेरिये को, माली को, यादव को, कुर्मी को क्या सलाम करता है? नहीं करता है। नहीं करेगा। उलटे वह सोचता है कि दस लाख की हैसियत वाला हरिजन या कुर्मी उसी को सलाम करे। लेकिन जब आरक्षण से एक बरयाहे का बेटा दारोगा हो जायगा, जब किसी हलवाहे का बेटा डी एस पी हो जायगा तब न केवल भिखमंगा पंडित बल्कि दस लाख की हैसियत वाला पंडित, ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत भी जा कर उस को सलाम करेगा और उस के पैर पकड़ेगा। इसलिये यह जो मामला है इस में राज सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल है। सदियों से नहीं, 2500 वर्षों से, खास कर गुप्तकाल के डाउन-फाल के बाद से इस देश में लगातार मुट्ठीभर लोग शासन करते रहे। उन्होंने धन और धरती पर अपना हक जमाया हुआ है। आप को मालूम होगा हमारे गुरू डा० लोहिया कहते थे––इस देश में दो राजा हैं––एक नम्बर के राजा और दो नम्बर के राजा। एक नम्बर के राजा तो इस देश में बदलते रहे हैं. शाक्य आये, हूण आये, गूजर आये, मंगोल आये, मुगल आये और अंग्रेज आये—इस प्रकार से एक नम्बर के राजा बदलते रहे हैं। लेकिन दो नम्बर के राजा जो पुस्तैनी गुलाम हैं––वे कभी नहीं बदलेंगे। आज की भाषा में––हम इन को कलैक्टर, मैजिस्ट्रेट, गवर्नर कहेंगे और ये सब दो नम्बर के राजा हैं। आज एक नम्बर के राजा-जैसे पालियामेन्ट है और मिनिस्ट्री है, तो एक नम्बर के राजा की कुर्सी बदलती रही है, लेकिन दो नम्बर के राजा, जिसकी एक्जीक्यूटिव कुर्सी है––वे कभी नहीं बदलेंगे। अंग्रेजों के जाने के बाद दुर्भाग्य से या संयोग से दोनों कुर्सियां मुट्ठीभर ऊंची जाति के लोगों के हाथ में आ गई। जो शासक और शोषक वर्ग रहा है, उसी के साथ में एक नम्बर और दो नम्बर की कुर्सी आ गई। अंग्रेजों के जमाने में जोकि गोरी चमड़ीवाले थे, वे कहते थे कि ये काले लोग हैं, इन के साथ न्याय करना चाहिये, चाहे राजपूत हों, हरिजन हों, भूमिहार हों या ठाकुर हो––वे सभी को काली चमड़ीवाला समझते थे और काली चमड़ीवालों के साथ चाबुक लगा कर न्याय करते थे। लेकिन आज मजिस्ट्रेट भी वही है, डाक्टर भी वही है, दरोगा भी वही है। अगर किसी को कोई गोली से मार देता है तो डाक्टर लिख देता है कि यह भाले से मार गया। हम ने कई केस देखे––जिन में गोली से मारा गया, लेकिन डाक्टर ने लिख दिया कि भाले से मरा। जब हम मजिस्ट्रेट के यहां गये, तो सारा केस ही खत्म हो गया। तो इस ढंग से सारा मामला बिगड़ा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी स्पीच से ही समाप्त कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: जी नहीं, 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। आपने उससे भी दो मिनट ज्यादा ले लिए हैं। अब आप समाप्त कीजिए। मैं बाकी पांच मिनट किसी दूसरे को बोलने के लिए दूंगा। आप एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह: जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वे इस बात को बतावें कि दुनिया के किस मुल्क में मेजोरिटी माइनारिटी से आरक्षण मांगती है? यह तो विडंबना है इस मुल्क की, सौ में साठ फीसदी बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों से कहता है कि हमको आरक्षण दो। इसी से पता चलता है कि हमारी हालत कितनी गिरी हुई है। चूंकि हमको दबाया गया है, हम शोषित हैं इसीलिए आरक्षण मांगते हैं वरना आरक्षण मांगने की क्या जरूरत थी? हम 100 में साठ हैं, जो पिछड़े हैं, यदि इन में हरिजन आदिवासी, मुसलमान–इन सब को मिला लेते हैं तो हमारी संख्या 100 में 90 हो जाती है। इस लिये 100 में 90 वाला इस लिये मांग कर रहा है, क्योंकि उस की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है, उन का मनोबल इतना गिरा

[श्री राम अवधेश सिंह]

हुआ है, कि वह समझ नहीं पाता है कि वह क्या करे। आज वोट का राज है, इस का मतलब है "छोट" का राज। मैं सीधे एक वाक्य में इस की डेफिनीशन देता हूं "वोट का राज का मतलब छोट का राज।" आज हो, कल हो, परसों हो, जो छोटा है, दबाया हुआ है, गरीब है, उस गरीब का राज कल आनेवाला है और इसी लिये वोट का राज रहेगा तो रिजर्वेशन मांगना नहीं पड़ेगा।

इस सदन के माध्यम से मैं देश के तमाम शोषकों को, जुल्म करने वालों, दबाने वालों को कहना चाहता हूं—समय आ गया है, आप के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, समय की धड़कन को पहचान लो, दीवार पर लिखे गये लेख को पढ़ लो, हवा के रुख को देख लो, अब रिजर्वेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तामिलनाडू में रिजर्वेशन मांगनी नहीं पड़ती है, अगर तुम सारा देश तामिलनाडू बनाना चाहते हो, तो यह जरूर बनेगा। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं—आरक्षण तो बिना चूं-चरा के मिल जाना चाहिये और यह अवश्य मिल कर रहेगा। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं—आप इस बिल को स्वीकार कर लीजिये। यह जो नया आयोग आप ने बहाल किया है, यदि उस के द्वारा कोई नई बात सामने आती है, तो उस को जोड़ लीजिये, क्योंकि हरिजन और आदिवासियों की सुविधाओं को बन्द नहीं किया गया है, लेकिन कालेलकर कमेटी की रिकमेण्डेशन्ज के आधार पर आप ने जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदा किया है— आरक्षण लागू करने का—उस के आधार पर जो यह बिल सदन में आया है, इस को आप पास कीजिये। मैं उस तरफ के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि पार्टी की बात को भूल कर यह जो सामाजिक क्रान्ति का बिल आया है, इस को दम-खम से बैठ कर पास कीजिये और पास करने के बाद सरकार को यह बता दीजिये कि अब केवल सरकारी हित नहीं चलेगा, जनता का हित भी चलेगा, इस के पीछे जन-आकांक्षा है— इस लिये यह बिल अवश्य पास होना चाहिये।

*SHRI S. G. MURUGAIYAN (Nagapattinam): Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir, the Bill of my hon. friend, Shri Roop Nath Singh Yadav seeks to provide for abolition of social disparities, casteism and removal of educational, social and economic backwardness of Harijans, Girijans and other backward classes.

The very fact that after 32 years of our Indepndence such a Bill has been introduced for discussion on the floor of this House speaks volumes about the wilful neglect of the people belonging to Sheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes in our country. Here it is relevant to refer to what ancient Tamil heritage has left to human civilisation. Saint Thiruvalluvar in his own inimitable succinct style has said that birth does not make any distinction and only the later avocations create castes. We Tamils have been taught by our illustrious ancestors that those people who give whatever they have to others in need belong to the upper classes and those who are not inclined towards charity belong to the lower classes. Our great poet-patriot, Shri Subramania Bharathy stated this in his sonorous voice that there are are only two castes-exploited and the exploiter-and the whole world is one casteless society.

I am very glad that the hon. Members who preceded me referred to the phenomenal progress the Tamil Nadu has made in the establishment of a casteless society. I would like to point out that in the 20 months of Janata administration the atrocities on Harijans have gone up by leaps and bounds, as compared to the position during the Congress regime, Every day in some part of the country or the other the Harijans are attacked with lethal weapons. The measures that have been taken up for their welfare and protection have not been keeping pace with the crimes being perpetrated upon them. The canker of casteism is eating away the vitals of our country.

In our society, we have got certain built-in contradictions.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Murugaiyan, you can continue next time. Now we will take up half-an-hour discussion.

*The original speech was delivered in Tamil.